



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
(कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015

Registration of Corporate Agents - Regulations, 2015

फॉर्म सी

FORM C

[विनियम 11 देखें]

[See regulations 11]

पंजीकरण के नवीकरण का प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF RENEWAL REGISTRATION

पंजीकरण संख्या:

Registration No: **CA0069**

1. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015, और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (4) की धारा 11 के तहत मेसर्स **AXIS BANK LTD** श्रेणी **Corporate Agent (Composite)** कारपोरेट एजेंट का पंजीकरण **01-Apr-2022** से **31-Mar-2025** तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।
The Registration of M/S **AXIS BANK LTD** Category **Corporate Agent (Composite)** corporate agent is hereby renewed under Regulation 11 of the IRDAI(Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) for the period **01-Apr-2022** to **31-Mar-2025**

2. **18-Mar-2022** को हैदराबाद में जारी किया गया।

Issued at Hyderabad on **18-Mar-2022**

3. यह पंजीकरण इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4), एवं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 तथा इनके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, और निर्देशों के सभी प्रावधानों का पालन करेगा।

This registration is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999), Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015 and the Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

स्थान: हैदराबाद

Place : Hyderabad

Date : 18-Mar-2022

दिनांक:

आदेशानुसार

By Order

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

के लिए और उनकी ओर से

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority of India

